गाजियाबाद नगर निगम

(I.S.O. 9001. 14001 & 18001 प्रमाणित संस्था)

नगर निगम, गाजियाबाद उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1969 की धारा 401,438 451, 452 व 541 (20)(41) व (49) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर निगम, गाजियाबाद टावर स्थापना, नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि बनाने का प्रस्ताव करता है जो नगर निगम कार्यकारिणी समिति/सदन की बैठक दिनाक 07.06.2022 द्वारा अनुमोदित है। अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित दर उक्त अधिनियम की धारा 543 की अपेक्षानुसार सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियों तथा सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा सूचित व प्रकाशित करता है।

	(1) यह उपविधि गाजियाबाद नगर निगम (टावर स्थापना, नियन्त्रण एवं विनियमन) उपविधि 2022 कही जायेगी।
	(2) गाजियाबाद नगर निगम की सीमा में लागू होगी
	(3)यह गजट में प्रकाशित होने के दिनाक से प्रवृत्त होगी।
	(4)यह उपविधि टावर के संबंध में प्रकाशित पूर्व उपविधि का स्थान लेगी।
परिभाषायेः-	(1)जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में- (एक) 'अधिनियम' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।
	(2)टावर से तात्पर्य रेडियो, दूरदर्शन मोबाइल फोन या अन्य फोन या दूरसंचार सम्बन्धि अन्य माध्यमों के संकेतक या रश्मियों भेजने और संयोजन तथा संवाहकता स्थापित रखने हेतु निर्मित ऊँची संरचना से है।
	(3)सेवा प्रदाता से तात्पर्य किसी कम्पनी, उसके कर्मचारी अभिकर्ता अनुज्ञापि संविदा कर्ता या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से है जिसके द्वारा अथवा निर्देशन अथवा पर्यवेक्षण में टावर लगाया जाना प्रस्तावि हो या लगाया गया हो।
अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया	(1)अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची। विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किया जायेगा जिसे 100.00 रूपये भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से या निगम की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

	नगर निगम कार्यालय से प्राप्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद और वेबसाइट से डाउनलोड किया गया आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय उसके साथ आवेदन पत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत जायेगा।
	(2) आवेदक द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा जारी लाईसेंस अथवा पंजीकृत प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।
	(3) प्रत्येक आवेदन पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी जहाँ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित टावर प्रतिष्ठापित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना खडा किया जाना, गाडा जाना चिपकाया जाना या लटकाया जाना वांछित हो।
	(4) आवेदन पत्र के साथ टावर की प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सुदृढता सम्बन्धी रिपोर्ट, आवश्यक चित्र तथा संरचना संगणना प्रस्तुत की जायेगी।
	(5) आवेदक द्वारा भूमि अथवा भवन का स्वामित्व प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन पत्र के साथ ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुमति उसके स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
	6).भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यक्तिक्रम की स्थिति में वह टावर हेतु देय प्रत्येक प्रकार के शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा।
	(7).टावर से सम्बन्धित विवरण जैसे ऊँचाई, भार, भूतल पर स्थापित या छत पर एन्टिना की संख्या तथा अन्य अपेक्षित सूचनायें और विशिष्टियाँ अंकित की जायेगी।
	(8).आटोमोटिव रिसर्च एसोसियेशन आफ इण्डिया (ARAI) द्वारा डीजी जनरेटर सेट के निर्माता को जारी टाइप टेस्ट सर्टिफिकेट (type test certificate) की प्रति आवेदक पत्र के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित होगा।

	(9).ऊँचे भवनों की दशा में अग्नि शमन विभाग से विलयरेन्स प्राप्त किया जायेगा।
	(10).संरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग की अनापत्ति वांछित होगी।
अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्ते	(1).किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने परिनिर्मित करने खड़ा करने या गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धनों एवं शर्तो के अधीन प्रदान की जायेगी।
	(क).अनुज्ञा केवल उसी अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो बशर्ते शुल्क इस उपविधि के अधीन संदत्त और जमा किया गया हो।
	(ख).टावर को समुचित स्थितियों और दशाओं में रखा और अनुरक्षित किया जायेगा।
	(ग).प्रदान की गई अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।
	(घ).सेवा प्रदाता कम्पनी या व्यक्ति ऐसी अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गई थी, की समाप्ति के एक सप्ताह के पूर्व अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क जमा करेगा। शुल्क न जमा करने के स्थिति में एक सप्ताह में टावर हटा दिया जायेगा।
	(ड). टावर अनुज्ञा स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किए जायेंगे, परिनिर्मित किए जायेंगे, खड़े किए जायेंगे, गाडे जायगे, चिपकाये जायेंगे या लटकाये जायेंगे। टावर किसी हेरिटेज/संरक्षित स्मारकों /भवनों पर स्थापित नहीं किये जायेंगे।
	(च). टावर से समीपस्थ भवनों के आवागमन, प्रकाश और वातायन में किसी भी रूप में व्यवधान नहीं डाला जायेगा और नही लोक माया अथवा यातायात में बाधा उत्पन्न किये जायेगी।
	(छ).लोकहित में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञा अवधि समाप्त होने से पूर्व भी अनुज्ञा पत्र को निलम्बित कर दें।
	(ज).ढाचों अवलम्बों और पटिटयों सहित टावर को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जायेगी और सभी वायरिंग सुरक्षित और रोधित रखी जायेगी।
	(झ).भूमि अथवा छत पर लगाने वाले प्रेस ट्रांस रिसीविंग सिस्टम (बी0टी0एस0) के संबंध में भवन के ढॉचे की डिजाइन तथा टावर के आधार के स्थायित्व और सुदृढता के प्रमाण-पत्र पर स्थानीय निकाय या राज्य सरकार या सी0वीआर0आई0 रूड़की या आई0आई0टी0 एन0आई0आई0टी0 या किसी अन्य संस्था के

	अधिकृत संरचना अभियंता द्वारा की गयी लिखित आख्या अपेक्षित होगा।
	(ण).किसी भवन के छत पर कोई टावर इस प्रकार प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा जिससे छत के एक भाग से दूसरे भाग में मक्त प्रवेश में व्यवधान हो।
	(ट).कोई टावर किसी छत पर तब तक प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत अज्वलनशील सामग्री का न हो।
	(ठ). कोई टावर भवन के विद्यमान एलाइनमेन्ट से बाहर किसी भी दशा में नहीं बढ़ेगा।
	(ड).प्रत्येक टावर को पूर्णतया सुरक्षित रखा जायेगा। ऐसे भवन या संरक्षना, जिस पर यह प्रतिष्ठापित या परिनिर्मित हो, का सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागो में सुरक्षित रूप में संवितरित होगें।
	(ढ).विभान पत्तनों के समीप टावर स्थापना हेतु विभान पत्तन प्राधिकरण से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
	(ण).टावर के स्थापना हेतु प्रथम वरीयता वन क्षेत्र एवं द्वितीय वरीयता आबादी से दूर खुले या सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जायेगा। टावर आवासीय क्षेत्रों में लगाने से बचा जाय किन्तु जहाँ यह सम्भव न हो वहाँ यथासम्भव खुली भूमि पर उसे स्थापित किया जाय।
	(त).टावर पर लगा एन्टिना समीपस्थ भवन से न्यूनतम 03 मीटर दूर और उसका निम्न धरातल अथवा छत से न्यूनतम 03 मीटर की ऊँचाई पर होगा।
	(थ).टावर की स्थापना किसी शैक्षिक संस्थान, अस्पताल परिसर अथवा संकरी गलियों (जिनकी चौ0 03 मी0 से कम हो) में नहीं की जायेगी। टावर किसी अस्पताल अथवा शैक्षिक संस्था के 100 मीटर की त्रिज्या में भी स्थापित नहीं किये जायेंगे।
	(द).टावर के स्थापना हेतु भूमिगत या छत पर एन्टीना के ठीक सामने

कोई बिल्डिंग इत्यादि होने कि स्थिति में टावर/बिल्डिंग की न्यूनतम दूरी निम्नवतः होगीः-

क्रम सं0	गुणज एन्टीनों कि संख्या	एन्टीना से बिल्डिंग/संरचना की दूरी (सूरक्षित दूरी) (मी0 में)
1	2	35
2	4	45
3	6	55
4	8	65

5	10	70
6	12	75
	(ध).क्षेत्र विशेष में कई कम्पनियों द्वारा ट्रांसमिशन स्थल वांछित होने पर उन्हें यथा सम्भव एक ही टावर पर स्थापित कराना होगा	
	(न).टावर अथवा उस पर स्थापित एन्टिना तक सामान्य जन के पहुँच को समुचित तरीके जैसे कटीले तार छत पर जाने के दरवाजे अथवा बाउन्ड्री वाल बनाकर गेट पर ताला आदि लगा कर प्रतिबन्धित किया जायेगा। अनुरक्षण कर्मियों को भी यथासम्भव कम से कम अवधि के लिए टावर तक पहुँचने की अनुमति दी जायेगी।	
	(प).टावर स्थल पर साइन बोर्ड उपलब्ध कराया जायेगा जो स्पष्ट दृष्टव्य होगा और चेतावनी चिन्ह स्थल के प्रवेश द्वार पर लगाया जाना चाहिए जिसमे स्पष्ट रूप में अंकित किया जाय - 1. विकिरण का खतरा, कृपया अन्दर प्रवेश न करें। 2 प्रतिबन्धित क्षेत्र।	
	(फ).सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनियों द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डॉट) के टर्म सेल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रेडिएशन के सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।	
	(ब).प्रत्येक सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनी, उसके अभिकर्ता, अनुज्ञापी कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर स्थापना के समय स्थल के चारों ओर बेरीकेटिंग, टिन आदि लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।	
	(भ).ऐसे स्थलों जहाँ यातायात हेतु दृष्यता में बाधा और व्यवधान उत्पन्न हो वहाँ टावर लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।	
	(म).जहाँ इससे स्थानीय नगरीय सुविधाये प्रभावित हो वहाँ अनुमति देय नहीं होगी।	
	पूर्व से स्थापित टॉवरों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के निर्णय की शक्ति नगर आयुक्त अथवा नगर निगम बोर्ड में निहित होगी।	
टावर पर निर्वन्धन	(10). किसी संविदा या अनुबंध में अनतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकुल होते हुए भी किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने परिनिर्मित करने खड़ा करने या गाडने की अनुज्ञा निम्नलिखित स्थिति में नही दी	

	4. भवन के अन्तर्गत मकान, घर के बाहर के कक्ष छादक झोपडी या अन्य घिरा हुआ स्थान या ढाँचा है चाहे वह पत्थर ईट लकडी मिटटी, धातु या अन्य किसी वस्तु से बना ही और चाहे यह मनुष्यों को रहने के लिए या अन्यथा प्रयक्त होता हो और इसके अन्तर्गत बरामदे, चबूतरें मकानों की कुर्सियों दरवाजे की सीढ़ियों दीवारें तथा हाते की दीवारें और मेड तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी है।
	5. भूमि के अन्तर्गत ऐसी भूमि है जिस पर कोई निर्माण हो रहा अथवा निर्माण हो चुका है अथवा जो पानी से ढकी हो, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, भूमि से संलग्न अथवा भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी सूत्र से बाधी हुई वस्तुयें, और ये अधिकार है जो किसी सड़क के सम्बन्ध में विधायन द्वारा सृजित हुए हो,
	(छ) निगम से तात्पर्य गाजियाबाद नगर निगम से है।
	(2)इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होगे, जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हो।
	(1)नगर आयक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञापी प्राप्त किए बिना कोई सेवा प्रदाता कम्पनी, कर्मचारी, अभिकर्ता, अनुज्ञापी या संविदाकर्ता या कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भूमि या भवन वाहन पर कोई टावर या इसी प्रकार की अन्य संरचना जिससे किसी सामान्य प्रज्ञावाले व्यक्ति को टायर होने का आभास हो, न तो प्रतिष्ठापित करेगा, न परिनिर्मित करेगा, न खडा करेगा न गाडेगा।
	(2)निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्य अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञापी के बिना ऐसे भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई टावर न प्रतिष्ठापित करेगा, न परिनिर्मित करेगा, न खडा करेगा, न गाडेगा, और न ही किसी व्यक्ति कम्पनी, संस्था या उसके कर्मचारी, अभिकर्ता या अनुज्ञापी को ऐसे भवन या भूमि पर कोई टावर न प्रतिष्ठापित करने देगा, न परिनिर्मित करने देगा, और न खडा करने देगा. न गाडने देगा।
	(3)कोई टावर इस रीति से स्थापित नहीं किया जायेगा जिससे यातायात अथवा समीपस्थ भवनों तथा उनके अध्यासियों को नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता अथवा लोक सुरक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान है।

	(य) आवेदक द्वारा विभिन्न संबंधित विभागों और प्राधिकारियों से आवश्कतानुसार अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
	(र) टावर की स्थापना, मरम्मत या सम्बन्धित अन्य कार्यों के सम्पादन के समय या पश्चात् जन सुविधा का पूर्ण दायित्व आवेदक या सेवा प्रदाता को होगा। किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति और उसके परिणामों के लिए आवेदक या सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा।
	(ल)टावर पर किसी प्रकार का विज्ञापन सम्प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।
	(व)भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर निर्धारित अन्य नियम और शतों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।
क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र	6.प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी, उसके अभिकर्ता, अनुज्ञापी, कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर या टावर की स्थापना से हुई दुर्घटना या किसी हानि के लिये क्षतिपूर्ति बना पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति की दशा में होने वाले जान-मान की भरपाई के शतप्रतिशत देनदारी सेवा प्रदाता कम्पनी उसके अभिकर्ता, अनुज्ञापी को होगी।
सम्पत्ति कर का आरोपण	7. टावर के पास निर्मित जनरेटर का उपकरण का चौकीदार का या अन्य कक्षों पर अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अधीन सम्पत्ति कर का आरोपण किया जायेगा और अनुज्ञा शुल्क के साथ वसूला जायेगा।
अनुज्ञा की अवधि और नवीनीकरण	8. अनुज्ञा विनिर्दिष्ट अवधि 1 वर्ष के लिए होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीनीकरण उसके जारी होने के दिनांक से अनधिक दो वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी।
टावर को हटाने की शक्ति	9. यदि कोई टावर इस उपविधि के उल्लंघन में प्रतिष्ठापित किया जाता है परिनिर्मित किया जाता है खड़ा किया जाता है या गाडा जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या सुरक्षित यातायात संचालन हेतु बाधा और अशांति का कारण हो तो नगर आयुक्त उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों को वसूल सकता है।
	(एक) टावर हटाये जाने का व्यय
	(दो) ऐसी अवधि जिसके दौरान टावर प्रतिष्ठापित किया गया था भारनिर्मित किया गया था, खडा दिया गया था, गाड़ा गया था, के लिए हुई क्षति की धनराशि।

	(क).ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे यातायत में बाधा उत्पन्न होती हो।
	(ख).राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गा के यान मार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर
	(ग).अन्य मार्गा के यानमार्ग के छोर से 05 मीटर के भीतर
	(घ).ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारको सार्वजनिक भवनों चिकित्सालयों शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के ऊपर
	(ड़).जब इससे स्थानीय नागरिक सुविधायें प्रभावित और बाधित हो।
	(च).किसी परिसर के बाहर क्षेपित हो।
	(छ) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित निषिद्ध क्षेत्र के भीतर हो।
निषिद्ध क्षेत्र की धोषणा	11.नगर निगम, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी स्थान या स्थानों क्षेत्र या क्षेत्रों को टावर प्रतिष्ठापित करने परिनिर्मित करने खडा करने या गाडने के लिए निषिद्ध घोषित कर सकती है।
अनुरक्षण	1. सभी टावर जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है अवलम्बो बेंधनी रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढाँचागत और कलात्मक दोनो ही दृष्टिकोण से होगी और यदि चमकीले अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं है तो उन पर मोर्चा आदि से रोकने हेतु रंग रोगन किया जायेगा।
	(2) प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी, उसके कर्मचारी अभिकर्ता अनुज्ञापि या व्यक्ति का यह कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह टावर से आच्छादित परिसर में सफाई स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।
	(3) सेवा प्रदाता कम्पनी के अनुरोध पर विद्युत संयोजन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।
प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति	(13).नगर आयुक्त या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या सेवा कोई निरीक्षण खोज माप या जाँच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा का निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि के अधीन हो, किसी उपबन्ध अनुसरण के सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर उस पर प्रवेश कर सकता है।
शुल्क का निर्धारण तथा भुगतान की रीति	(1).इस निर्मित वार्षिक शुल्क और प्रतिभूति एवं अन्य देय शुल्क का निधारण नगर निगम द्वारा किया जायेगा जो नगर निगम

	सीमान्तर्गत न्यूनतम रू0 25000/- प्रति टावर प्रति वर्ष होगी।
	(2) वार्षिक शुल्क एकल किश्त मे संदेय होगा। जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाय तब कि किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने परिनिर्मित कर खड़ा करने गाडने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
	(3)किसी कटौती के न होने पर प्रतिभूमि की पूरी धनराशि और कटौती अथवा समायोजन होने पर अवशेष धनराशि अनुज्ञा समाप्त होने की, तिथि से एक सप्ताह में वापस कर दी जायेगी।
	(4)यह शुल्क उन टावरों पर लागू नहीं होगा, जिनको राज्य सरकार अथवा नागर निकायों द्वारा जन सुविधाएँ यथा सी0सी0टी0वी0 कैमरे प्रकाश आदि लगाने के लिये उपयोग में लाया जा रहा हो।
	(5)निर्धारित शुल्क की वसूली भू-राजस्व की भाँति की जा सकेगी। अनुज्ञा शुल्क- 01 अप्रैल से 31 मई के बीच जमा करने पर 20 प्रतिशत छूट होगी अर्थात रु0 2000/- जमा करना होगा उक्त अवधि के बाद रू0 25000/- पर 20 प्रतिशत सरचार्ज, देय होगा, अर्थात रू0 30000/- जमा करना होगा। प्रथम बार इस उपविधि के प्रभावी दिनांक से अगले दो माह की अन्तिम तारीख तक 10 प्रतिशत छूट, तत्पश्चात् निर्धारित दर पर 20 प्रतिशत सरचार्ज देय होगा।
शास्ति और अपराधो का प्रकाशन	(1)इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लंघन की सिद्धि के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिस दौरान ऐसे उल्लंघन जारी रहा ऐसे जुर्माने से जो पाँच सौ रूपये तक हो सकता, दण्डनीय होगा।
	(2)इस उपविधि के अधीन दण्डीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि पर करने पर नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिक द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।
	(3)किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त का निर्णय मान्य होगा। न्यायिक/वैधानिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र गाजियाबाद होगा।